2/97
18/04/15

M
13.00

(i) प्रयोगप्रस्त फोलियो निरस्त किया गया।
(ii) प्रमाणित प्रति आदेश दिनांक – 16/04/15 संलग्न।

जिलाधिकारी / मजिस्ट्रेट (सदर) ★

न्यायालय उप जिलाधिकारी / सहा0कलेक्टर (प्र0श्रे0), सदर, लखनऊ।

वाद सं0 :– 635 / 14–15
गजराज सिंह आदि बनाम उ0प्र0 सरकार।
धारा :– 143 जेड0ए0एल0आर0 एक्ट।
ग्राम :– सेमरा, परगना,
तहसील व जिला लखनऊ

निर्णय

प्रस्तुत वाद कार्यवाही गजराज सिंह व अवधराम मौर्य पुत्रगण सुन्दर लाल व रवीन्द्र सिंह व वीरेन्द्र सिंह पुत्रगण गजराज निवासीगण ग्राम सेमरा, परगना, तहसील व जिला लखनऊ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–143 जेड0ए0एल0आर0 एक्ट के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में यह अभिलिखित है कि प्रार्थीगण भूमि खसरा संख्या 136 स सम्पूर्ण रकबा 0.201 हे0 व 137 रकबा 0.089 हे0 में से अपने भाग रकबा 4789.73 वर्ग फिट अपने सम्पूर्ण भाग यानी रकबा 445.14 वर्ग मीटर स्थित ग्राम सेमॅरा, परगना, तहसील व जिला लखनऊ के मालिक, कामिल, काबिज है। उक्त भूमि का प्रयोग कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन में नही हो रहा है। अन्त में प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की याचना की गई।

उक्त प्रार्थना–पत्र पर तहसीलदार सदर, लखनऊ से आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार सदर, लखनऊ की आख्या दिनांक 22.03.2015 के अनुसार प्रश्नगत गाटा संख्या 136 स रकबा 0.201 हे0 व 137 रकबा 0.089 हे0 में से रकबा 0.044 हे0 कुल 2 किता कुल रकबा 0.245 हे0 आवेदकगण के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। उक्त भूमि पर मौके पर मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी का कार्य नही होता है। आवासीय गतिविधियां चल रही है। प्लाट में बाउन्ड्री वाल बनी है। नियम 135 (6) के अनुसार नियमानुसार शुल्क जमा कराकर निर्मित क्षेत्रफल की पैमाइश की गयी है। गैर कृषिक प्रयोजन घोषित करने हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रेषित है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर लखनऊ विकास प्राधिकरण / उ0प्र0 सरकार को आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु नोटिस / सम्मन जारी किये गये, जो दिनांक 27.03.2015 को वाद तामील पत्रावली पर संलग्न है। सुनवाई तिथि 31.03.2015 को पत्रावली पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नही हुयी। तदोपरान्त दिनांक 31.03.2015 को पत्रावली आदेश हेतु आरक्षित की गयी।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों / साक्ष्यों एवं तहसीलदार, सदर, लखनऊ की आख्या का विधिवत अवलोकन व परिशीलन किया गया तथा मौके का स्थलीय निरीक्षण भी किया गया। जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत गाटा संख्याओं के रकबा 0.245 हे0 पर मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी का कार्य नही होता है। आवासीय गतिविधियां चल रही है। प्लाट में बाउन्ड्री वाल बनी है। तहसील आख्या के साथ संलग्न राजस्व निरीक्षक द्वारा सत्यापित वादीय भूमि का छाया चित्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र पत्रावली पर संलग्न किया गया है कि वादीय भूमि के बाबत कोई वाद भी किसी न्यायालय में विचाराधीन नही है तथा वादीय भूमि के सहखातेदारों द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है कि यदि प्रार्थीगण के हिस्से वाली वादीय भूमि को धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित कर दिया जाता है तो शपथीगण को कोई आपत्ति न होगी। ऐसी दशा में उक्त भूमि का उपयोग गैर कृषिक होने के कारण अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक बाधा नही है।

आदेश

अतः प्रश्नगत भूमि के परिपेक्ष्य में प्राप्त तहसीलदार, सदर, लखनऊ की आख्या दिनांक 22.03.2015 की पुष्टि की जाती है। तदनुसार ग्राम सेमरा, परगना, तहसील व जिला लखनऊ की भूमि खसरा 136 स रकबा 0.201 हे0 व 137 रकबा 0.089 हे0 में से रकबा 0.044 हे0 कुल 2 किता कुल रकबा 0.245 हे0 भूमि को कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन की भूमि (अकृषिक) घोषित किया जाता है। यह घोषणा केवल राजस्व की दृष्टि से की जा रही है, अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर उसका प्रभाव नही होगा। इस भूमि का प्रयोग एवं इस पर निर्माण लखनऊ विकास क्षेत्र महायोजना–2021 के अनुसार ही अनुमन्य होगा। यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्य, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि से सम्बन्धित कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है तो धारा–144 ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत तहसीलदार तत्काल अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्य यदि कभी भी संज्ञान में आने पर अविधिक एवं फर्जी पाये जाते है तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। अभिलेखों में अमल–दरामद हेतु आदेश की एक प्रति तहसीलदार, सदर, लखनऊ को व एक प्रति उप निबन्धक, लखनऊ को भेजी जाये। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(शत्रोहन वैश्य)
उप जिलाधिकारी / सहायक कलेक्टर (प्र0श्रे0)
सदर, लखनऊ।

प्रार्थना-पत्र देने की तिथि: 18/04/15
नकल तैयार करने की तिथि: 18/04/15
नकल जारी करने की तिथि: 18/04/15
प्रतिलिपि शुल्क: 1300/
... की संख्या: 200

यह आदेश आज दिनांक 16/4/15 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(शत्रोहन वैश्य)

प्रमाणित प्रतिलिपि